न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 242/2025 दायर दिनांक–27.10.2025

1. बलबीर सिंह पुत्र लादू सिंह जाति राजपूत निवासी भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०) मो. नं.

– वादी

बनाम

1. गोकुल सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी भोजनगर तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं
2. प्रेम कवंर पुत्री हनुमान सिंह पत्नी शिवदान सिंह जाति राजपूत निवासी भोजनगर तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज०) हाल आबाद आकोदा तहसील मोलासर जिला नागौर।
3. रूकमणी कंवर पुत्री हनुमान सिंह पत्नी जगदीश प्रसाद जाति राजपूत निवासी भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०) हाल आबाद आकोदा तहसील मोलासर जिला नागौर।
4. सरोज पुत्री लादू सिंह पत्नी झाबर सिंह
5. प्रमोद पुत्री लादूसिंह पत्नी बोदू सिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०) हाल आबाद आजडोली डीडवाना जिला नागौर।
6. गोपाल सिंह पुत्र हनुमान सिंह (फौत)
   6/1 लोकेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह
   6/2 दीपेन्द्र भोजराज पुत्र गोपाल सिंह
   6/3 श्रीमति रतन कंवर पत्नी गोपाल सिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासीगण सुरजनपुरा तन भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)
7. हरि सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी सुरजनपुरा तन भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)
8. उप पंजीयक, पंजीयन कार्यालय नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज०)

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री सज्जन कुमार चाहर
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकॉर्ड, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा व शून्य घोषित करने का विक्रय पत्र दिनांक 20.04.1998 व निरस्त करने नामांतकरण संख्या 187

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 30.12.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम भोजनगर पटवार हल्का टोंकछिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०) की सरहद में नई खाता संख्या 33 पुराना खाता संख्या 34 की भूमि खसरा नम्बर 356 रकबा 0.81 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.81 है० भूमि स्थित है जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की पैत्रिक भूमि है जिसे आगे वाद पत्र में विवादित्त भूमि के नाम से दर्ज व संबोधित किया गया है। वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर की भूमि जो पूर्व में हनुमान सिंह पुत्र केसर के नाम से दर्ज थी जिसका सजरा खानदान वाद पत्र की मद संख्या 02 में दर्ज अनुसरार है। उपरोक्त भूमि पैत्रिक भूमि होने के कारण पैत्रिक भूमि में पुत्र पुत्रियों का जन्म के साथ ही हक व हिस्सा होता है। वादी लादू सिंह का पुत्र व हनुमान सिंह का पौत्र है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में हनुमान की मृत्यु के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का शामिल में कब्जा व काश्त है वादग्रस्त भूमि में वादी के पिता लादू सिंह का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 प्रत्येक का 1/16–1/16 हिस्सा है व

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। विवादित भूमि में हनुमान सिंह की मृत्यु होने के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता लादू सिंह के नाम 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हो गया जो गलत दर्ज हो गया जबकि वास्तव में इस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता लादू सिंह के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 प्रत्येक के 1/4–1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए। उक्त भूमि पैत्रिक होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का जन्म से हक व हिस्सा बनता है इसलिए विवादित भूमि का गलत राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जाना या दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है इसलिए वादी को 1/16 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/4 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 प्रत्येक को 1/16–1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा दिनांक 20.04.1998 को वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 व उसके वारिस प्रतिवादी 6/1 लगायत 6/3 व प्रतिवादी संख्या 7 के नाम खसरा नम्बर 356 रकबा 0.81 है0 में से 1/2 हिस्से की भूमि का विकय पत्र दिनांक 20.04.1998 को तस्दीक करवा दिया जबकि वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता लादू सिंह को विकय करने व विक्रय पत्र तस्दीक करवाने का हक व अधिकार नहीं था उक्त विक्रय पत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के अधिकारो के खिलाफ बेअसर व शून्य है इस प्रकार वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता लादू सिंह व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के भाई लादू सिंह ने गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में गलत राजस्व रिकॉर्ड बनाया है जबकि वास्वत में विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता लादू सिंह का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए इसलिए वादी के लिये यह दाव बाबत घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती का श्रीमानजी की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ।

वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता लादू सिंह अपने पिता की मृत्यु के बाद राजस्व रिकॉर्ड में अकेले अपने व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत रूप से नाम दर्ज करवा लिया तथा इस गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता ने प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के हक में खसरा नम्बर 356 रकबा 0.81 है0 में से 1/2 हिस्से की भूमि का विकय पत्र दिनांक 20.04.1998 को तस्दीक करवा दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 187 दर्ज किया गया जबकि लादू सिंह को उक्त विकय पत्र तस्दीक करवाने का कोई हक व अधिकार नही था क्योंकि वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता लादू सिंह का 1/4 हिस्सा व 1/4 हिस्से में वांदी का 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 प्रत्येक का 1/16–1/16 हिस्सा व लादू सिंह का 1/16 हिस्सा था। लादू सिंह को 1/16 हिस्से का विक्रय पत्र ही तस्दीक करवाना चाहिए था इस प्रकार लादू सिंह के द्वारा गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में खसरा नम्बर 356 रकबा 0.81 है0 में से 1/2 हिस्सा विक्रय कर दिया उक्त विक्रय पत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के अधिकारो के खिलाफ बेअसर व शून्य है तथा इस विकय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 187 निरस्त होने योग्य हे। ऐसी हालत में वादी के लिए यह दावा बाबत शून्य व बेअसर घोषित करने व निरस्त करने नामान्तकरण का पेश करना आवश्यक हुआ।

गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड में प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गई ओर वे गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड में भूमि को खुर्द–बुर्द निरस्त व डेमेज करने लगे, जबरन निर्माण कार्य करने लगे वादी को बेदखल करने लगे। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 अपनी इस नाजायज हकरत में सफल हो गये तो वादी को भयंकर हकतलफी होगी जिसका खामियाजा किसी भी सूरत में संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण संख्या 6/1 लगायत 6/3 व प्रतिवादी संख्या 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने हेतु उक्त वाद सेवामें पेश किया जा रहा है।

उक्त वाद के लिए वादकारण वादी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल दिनांक 04.10.2025 को लेने व गलत नामान्तकरण का पता चलने के रोज व प्रतिवादीगण द्वारा जबरने बेदखल करने, व निर्माण कार्य करने की धमकी देने के रोज माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र डुप्लीकेट कोपी सहित पेश कर निवेदन है कि :– वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित राजस्व ग्राम भोजनगर पटवार हल्का टोंकछिलरी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज०) की सरहद में नई खाता संख्या 33 पुराना खाता संख्या 34 की भूमि खसरा नम्बर 356 रकबा 0.81 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.81 है० भूमि में वादी को 1/16 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4 व 5

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

प्रत्येक को 1/16–1/16 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 6/1 लगायत 1/6 व प्रतिवादी संख्या 7 को 1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें।

वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता लादू सिंह व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के भाई लादू सिंह के द्वारा खसरा नम्बर 356 रकबा 0.81 है0 मे से 1/2 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 6/1 लगायत 6/3 व प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में किये गये विकय पत्र दिनांक 20.04.1998 को वादी तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के अधिकारो के खिलाफ शुन्य व बेअसर घोषित किया जावे तथा इस आधार पर भरे गये नामान्तकरण संख्या 187 को निरस्त किया जायें। प्रतिवादीगण संख्या 6/1 लगायत 6/3 व प्रतिवादी संख्या 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि जब तक विवादित भूमि का सक्षम न्यायालय से रिकॉर्ड दुरूस्त नही हो जाता है तब तक उक्त विवादित भूमि को किसी अन्य को विक्रय व हस्तान्तरित नही करे, भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करें, विकय पत्र तस्दीक नही करवायें उक्त कृत्य ना तो स्वयं करें ओर ना ही अपने किसी नौकर–चाकर आदि से करवायें मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या 8 को भी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादी संख्या 6/1 लगायत 6/2 व प्रतिवादी संख्या 7 के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उसे तस्दीक नहीं करें। उक्त कृत्य ना तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी नौकर–चाकर, एजेन्ट आदि से करवाये। मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 की ओर से वकील श्री मिनाक्षी सिंह ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 की ओर से जबाब पेश नही करने पर तथा शेष प्रतिवादीगण की के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु वादी लक्ष्मण सिंह व विक्रम सिंह का चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम भोजनगर पटवार हल्का टोंकछिलरी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं की सरहद में नई खाता संख्या 33 पुराना खाता संख्या 34 की भूमि खसरा नम्बर 356 रकबा 0.81 है० भूम का राजस्व रिकॉर्ड गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है। उक्त भूमि में वादी का कब्जा काश्त है। अतः उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर वाद पत्र में दर्ज अनुसार हिस्से की घोषणा किया जाना न्यायोचित है तथा गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर भूमि को विक्रय या खुर्द बुर्द नही करने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 6/1 लगायत 6/3 व 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम भोजनगर पटवार हल्का टोंकछिलरी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं की सरहद में नई खाता संख्या 33 पुराना खाता संख्या 34 की भूमि खसरा नम्बर 356 रकबा 0.81 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.81 है० भूमि में वादी को 1/16 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 प्रत्येक को 1/16–1/16 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 6/1 लगायत 1/6 व प्रतिवादी संख्या 7 को 1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विकय पत्र दिनांक 20.04.1998 को शुन्य व बेअसर घोषित किया जाता है तथा नामान्तकरण संख्या 187 को निरस्त किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 6/1 लगायत 6/3 व प्रतिवादी संख्या 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त भूमि के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तहसीलदार नवलगढ को उपरोक्त घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा व शून्य घोषित करने का विक्रय पत्र दिनांक 20.04.1998 व निरस्त करने नामांतकरण संख्या 187

मुकदमा संः– 242/2025 (बलबीर सिंह बनाम गोकूल सिंह आदि)

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुददई रूबरू मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 30.12.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम भोजनगर पटवार हल्का टोंकछिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में नई खाता संख्या 33 पुराना खाता संख्या 34 की भूमि खसरा नम्बर 356 रकबा 0.81 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.81 है० भूमि में वादी को 1/16 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 प्रत्येक को 1/16–1/16 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 6/1 लगायत 1/6 व प्रतिवादी संख्या 7 को 1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विकय पत्र दिनांक 20.04.1998 को शुन्य व बेअसर घोषित किया जाता है तथा नामान्तकरण संख्या 187 को निरस्त किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 6/1 लगायत 6/3 व प्रतिवादी संख्या 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त भूमि के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तहसीलदार नवलगढ़ को उपरोक्त घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.12.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00